EAST & WEST ACADEMY

WORLD HISTORY

B.A. III G

पश्चिमी योरोप में उदारवाद एवं लोकतंत्र का उदय (1815–1914)

परिभाषित करने के लिए "उदारवाद" एक बेहद कठिन शब्द (या अवधारणा) है, जो अपने बहुरूप के कारण समय-समय पर परिवर्तित होता रहता है। सामान्य अर्थों में उदारवाद का तात्पर्य है विश्व की समस्त उपभोक्ता वस्तुओं और सुविधाओं का अधिकाधिक क्षेत्रों में वितरण अर्थात् अधिकाधिक लोगों का उपकार। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से 75 वर्षों तक उदारवाद का विचार मध्यम-वर्ग के साथ बड़ी घनिष्ठतापूर्वक जुड़ा था, विशेषकर औद्योगिक बुर्जुआ वर्ग से। जिन देशों में औद्योगिक क्रांति की परिस्थितियाँ अधिक परिपक्व थीं उन देशों में सामान्य रूप से उदारवादी विचारधारा भी उतना ही दृढ़तापूर्वक प्रकट हुआ; जबकि उन देशों में उदारवाद का विकास बेहद कमजोर रहा जिन देशों में औद्योगिक प्रगति अवरुद्ध थी। औद्योगिक एवं व्यापारिक बुर्जुआ के साथ-साथ बुद्धिजीवी -पेशेवर लोग, अधिकांशतः उदारवादी विचारधारा के पोषक एवं वाहक थे। औद्योगिक-सर्वहारा वर्ग की आवाज, जो वर्ष 1870 ई. के पश्चात् से ही एक अधिक मौलिक उदारवादी दृष्टिकोण की माँग कर रही थी, शायद अभी तक ठीक से सुनी भी न गयी थी। इस प्रारंभिक उदारवाद का मुख्य स्रोत, प्रबोधन के युग का विचार-मंथन साथ ही ब्रिटिश, अमेरिकी एवं फ्रांस की क्रांतियों से लिए गये सबक और पढ़े गये पाठ भी थे।

19वीं शताब्दी के उदारवाद की सामान्य प्रकृति

19वीं. शताब्दी के मध्यम वर्गीय उदारवादी, वर्ष 1870 के पूर्व तक यही विश्वास करते थे कि लोकप्रिय (प्रतिनिधि) सरकार, मतदाताओं की सीमित संख्या द्वारा चुनी जाय और वह व्यक्ति के अधिकारों की संवैधानिक गारण्टी दे। अतः सरकार की भूमिका और कार्य, पुलिस जैसी हो जो शान्ति-व्यवस्था की सुरक्षा करे तथा अनुबन्धों को लागू करे । इस मतानुसार, सरकार को अपने नागरिकों के आर्थिक जीवन में कम-से-कम (या न्यूनतम) हस्तक्षेप करना चाहिए तथा आर्थिक-गतिविधियों को निजी उद्यमों एवं प्रतिष्ठानों के हाथ में छोड़ देना चाहिए। 19वीं. शताब्दी के उदारवादी चर्च एव पादरियों के विरोधी भी थे अर्थात् वे धार्मिक संगठनों द्वारा सरकार के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप को अनुचित मानकर उसका विरोध करते थे। कभी-कभी, प्रबोधनयुग के विचार-दर्शन के प्रभाव में आकर, उदारवादी लोग न केवल संगठनों का विरोध करते वरन् धर्म का विरोध करने को भी तत्पर हो उठते थे। वर्ष 1870 के पूर्व तक उदारवादी लोग सामान्यतः राष्ट्रवादी होते थे; क्योंकि उस समय राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य, एक देश के लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के आधार पर एकीकृत करना तथा विदेशी शासन से मुक्त होने को प्रेरित करने की भावना को जगाना था। 19वीं. शताब्दी के उदारवादी विचारधारा के प्रमुख विरोधी वही लोग या समूह थे जिनके निहित स्वार्थों को पुरानी-पिछली व्यवस्था पोषण देती थी जैसे आभिजात्य-कुलीन वर्ग, पादरी-पुजारी तथा सैन्य-शक्ति। ये सभी वर्ग उस पुरानी व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखना चाहते थे जिसमें उनके विशेषाधिकारों सुविधाओं की यथा-स्थिति बनी रहे। कृषक समुदाय अभी तक रूढ़िवादी विचारों

से ग्रस्त था। अतः पादरियों-पुजारियों का उन पर प्रबल प्रभाव बना रहता था, कभी-कभी अभिजात्य सामन्त भी किसान वर्ग को प्रेरित-प्रभावित करने की भूमिका निभाते थे और कुल मिलाकर स्थिति ऐसी बनी थी कि कृषक समुदाय राजनीतिक विचारों एवं क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते थे। वर्ष 1870 के पश्चात्, उदारवादी विचारधारा की प्रकृति बदलने लगी। औद्योगिक बुर्जुआ वर्ग ने अब तक राष्ट्र की सम्पदा एवं सत्तापर अपना वर्चस्व कायम कर लिया था और उनका अपना निहित- स्वार्थ विकसित हो चुका था। फलतः अब वे किसी आगामी सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के बिलकुल खिलाफ थे। अब इस वर्ग के अधिकांश सदस्य रूढ़िवादी हो गये थे और वे यथास्थितिवाद का पोषण -समर्थन करने लगे थे। उदारवादी सम्प्रदाय में उनके द्वारा रिक्त किये गये स्थान पर औद्योगिक सर्वहारा वर्ग ने अधिकार जमाना शुरू किया जो अन्ततः राजनीतिक रूप से सक्रिय होने लगा था। उदारवादी लोगों का नया वर्ग (जिसमें अब मुख्यतः निम्न मध्यम वर्ग, बुद्धिजीवी तथा सर्वहारा शामिल थे) अब मांग करने लगा कि राष्ट्रके जनसामान्य के हितार्थ सरकार को आर्थिक क्रियाकलापों में अधिक हस्तक्षेप करना चाहिए। राष्ट्रवाद के प्रति भी इस नवीन उदारवादी विचारधारा के लोगों का दृष्टिकोण काफी भिन्न था। वर्ष 1870 के पश्चात् पश्चिमी योरोप में स्वतंत्र एवं एकीकृत राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य प्राप्त कर लेने के बाद, राष्ट्रवादी विचारधारा का स्वरूप अधिक जुझारू एवं सैन्य-शक्ति प्रधान होता जा रहा था। निम्न मध्यम वर्ग के उदारवादी-लोकतंत्र के विचार -दर्शन के लिए नया राष्ट्रवाद एक गम्भीर खतरा बनता जा रहा था । अतः वर्ष 1870 के पश्चात्, उदारवाद ने अन्तर्राष्ट्रवादी विचारों को ग्रहण करना शुरू किया, जब कि उस समय गम्भीर अन्तर्राष्ट्रीय संकट उत्पन्न हो चुके थे और युद्ध कालीन आवश्यकताओं के अनुरूप राष्ट्रवादी विचारधारा को सभी वर्ग समूहों की निष्ठा प्राप्त थी।

वर्ष 1830 से वर्ष 1870 के बीच की अवधि, ब्रिटेन में बुर्जुआ उदारवादियों के प्रभाव एवं वर्चस्व की अवधि थी तथा विश्व के अन्य औद्योगिक रूप से अग्रणी राष्ट्रों , संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा फ्रांस की स्थिति भी ऐसी ही थी। मध्य योरोप, में जहां औद्योगिक क्रांति की दिशा में हो रही प्रगति अभी काफी धीमी थी, मध्यमवर्गीय उदारवाद ने इस अवधि में अपना सिर उठाया अवश्य किन्तु अपना वर्चस्व कायम न कर सका। पूर्वी योरोप में औद्योगिक क्रांति एवं बुर्जुआ उदारवाद वर्ष 1870 तक जन्म भी न ले सका।

ब्रिटेन में उदारवाद एवं लोकतंत्र

नेपोलियन से सम्बद्ध युद्धों की समाप्ति के तुरन्त बाद, ब्रिटेन में औद्योगिक बुर्जुआ वर्ग ने शासन पर नियंत्रण प्राप्त करने की कोशिशें प्रारम्भ कर दी। यद्यपि ब्रिटेन में 13वीं शताब्दी से ही कानून का राज्य और प्रतिनिधि-सरकार की स्थापना की जा चुकी थी, किन्तु वर्ष 1815 तक उसकी सरकार सही अर्थों में लोकतांत्रिक नहीं थी। मतदान का अधिकार इतनी कड़ाई से सीमित और प्रतिबंधित किया गया था कि सम्पूर्ण देश के बालिग पुरुषों का केवल पांच प्रतिशत ही मतदान में भाग ले सकता था। संसद के दोनों सदनों में कृषक- अभिजात्यों का एकाधिकार था। वर्ष 1830 के पूर्व ब्रिटेन के दोनों महान राजनीतिक दल-हिवग एवं टोरी-अभिजात्य सामन्ती परिवारों के दो प्रतिस्पर्धी समूहों से अधिक हैसियत नहीं रखते थे।

Scanned by TapScanner

वर्ष 1815 में नेपोलियन के साथ इंग्लैण्ड के युद्ध की समाप्ति के पश्चात् आर्थिक मन्दी एवं सामाजिक राजनीतिक बेचैनी का एक दौर इंग्लैण्ड में प्रारम्भ हुआ। लेकिन कुछ ही वर्ष पश्चात्, जब युद्धोपरांत उत्पन्न हुए आर्थिक मन्दी का संकट एवं सामाजिक-राजनीतिक बेचैनी का माहौल समाप्त हुआ, तो टोरी दल की सरकार को सुधार कार्यों के लिए डाले जा रहे दबाव के सामने कुछ-कुछ झुकना पड़ा । विदेशी मामलों के संदर्भ में, ग्रेट -ब्रिटेन ने "कन्सर्ट आफ यॉरोप" में मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति का परित्याग कर, लातिन अमेरिका तथा ग्रीस में स्वतंत्रता आन्दोलनों को समर्थन- सहयोग दिया। उन्नीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक के दौरान जल-परिवहन कानूनों में कुछ ढिलाई लायी गयी तथा चुंगी-शुल्क की दर भी कुछ घटायी गई। औद्योगिक क्षेत्र के कानूनों में भी आंशिक छूट दी गयी। फलतः औद्योगिक श्रमिक अपने संघ या "ट्रेड यूनियन" बना सकते थे किन्तु उन्हें हड़ताल करने की कानूनी अनुमति नहीं दी गयी । विरोधी प्रोटेस्टैण्टवादियों एवं रोमन कैथोलिकवादियों के खिलाफ लागू किये गये निर्योग्यता कानून (सिविल डिसएबलीटिज) समाप्त कर दिये गये तथा उन्हें सामाजिक-राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेने का वैसा ही अधिकार दे दिया गया जैसा ऐंग्लिकनवादियों को प्राप्त था। फिर भी, ये सारे उपाय उन बुनियादी मुद्दों तक नहीं पहुंच सके जो सरकारी तंत्र में जन-प्रतिनिधियों के अधिकाधिक भागीदारी से जुड़े थे। मताधिकार के क्षेत्र में सुधार के लिए दबाव निरन्तर बढ़ता ही जा रहा था, विशेषकर औद्योगिक बुर्जुआ वर्ग की यह मांग बहुत जोर पकड़ने लगी। अन्ततः वर्ष 1931 में ह्विग दल ने बुर्जुआ-उदारवादियों की मांग का समर्थन किया और टोरी दल की सरकार को सत्ताच्युत कर दिया।

नये प्रधानमंत्री ने संसद में, वर्ष 1832 का सुधार अधिनियम प्रस्तुत किया और उसे पारित करवा लिया। "हाउस आफ कामन्स" या निम्न सदन की सीटों का पुनर्वितरण किया गया ताकि, उत्तरी भू-क्षेत्र के औद्योगिक शहरों को अधिक सीटें प्राप्त हों । मतदाताओं की संख्या में भी इस अधिनियम द्वारा वृद्धि की गयी तथा अब मतदाताओं की संख्या 450,000 से बढ़ाकर 650,000 कर दी गयी। इन नये मतदाताओं की अधिकांश संख्या शहरी मध्यम वर्ग की थी। वर्ष 1832 का सुधार अधिनियम , अनेक कारणों से ब्रिटिश इतिहास की युगान्तरकारी घटना थी। भूस्वामी अभिजात्य वर्ग के राजनीतिक वर्चस्व की लम्बी अवधि समाप्त हुई तथा औद्योगिक बुर्जुआ के वर्चस्व का युग आरम्भ हुआ। राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार के एक नये युग का आरम्भ हुआ।

ब्रिटेन के दोनों राजनीतिक दलों ने नये युग की प्रवृत्तियों को पहचान लिया। ह्विग पार्टी, जिसमें औद्योगिक बुर्जुआ का प्रभुत्व रहने के बावजूद, उदारवादी अभिजात्यों का एक दक्षिण -पंथी समूह तथा बुद्धिजीवी उग्रसुधारवादियों का एक वामपंथी समूह भी मौजूद था, उसने अपना नाम बदलकर उदारवादी दल या "लिबरल पार्टी" रख लिया । इसके पश्चात आधी शताब्दी तक ब्रिटेन के राजनीतिक माहौल पर, लॉर्ड ग्रे, रसेल, पामर्स्टन तथा अन्ततः ग्लैडस्टन जैसे व्यक्तित्वों के नेतृत्व में, उदारवादी दल छाया रहा। इन दोनों दलों ने, जनमत के महत्व को राजनीतिक क्रियाकलापों में सुदृढ़ करने की कोशिश में, सुधारवादी कार्यक्रमों की एक श्रृंखला को समर्थन दिया। वर्ष 1833 में, ब्रिटेन में "दास प्रथा" का अन्त कर दिया गया। इसी दौरान सूती वस्त्र-कारखानों में, नौ-वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाना निषेधित किया गया तथा महिलाओं एवं किशोर बालकों के कार्य की अवधि घटाकर 10 घण्टे प्रति दिन

कर दिया गया। खनन-उद्योग में, जमीन के नीचे महिलाओं और बच्चों को काम पर लगाना भी अवैध घोषित कर दिया गया । वर्ष 1846 में "कॉर्न लॉ" (अनाज कानून) समाप्त कर दिया गया फलतः रोटी की कीमत काफी घट गयी।

यह ध्यातव्य है कि ये सुधार कार्यक्रम जनसमूह द्वारा किये गये कार्य नहीं थे वरन् कुछ बुद्धिजीवी अतिवादी एवं उदारमना अभिजात्यों के अल्पसंख्यक समूह के साथ मिलकर बुर्जुआ-उदारवादियों ने इन कार्यों को अंजाम दिया था। बुर्जुआ प्रभाव के अन्तर्गत सक्रिय, सर्वहारा वर्ग द्वारा प्रारम्भ किया गया एकमात्र सुधारवादी आन्दोलन, सर्वथा निष्फल रहा। चार्टिस्ट आन्दोलन के नाम से प्रसिद्ध इस आन्दोलन की प्रमुख मांगें थीं - (1) सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (2) गुप्त मतदान (3) संसद सदस्य की उम्मीदवारी के लिए सम्पत्तिका स्वामी होने की अनिवार्यता खत्म करना (4) संसद सदस्यों के लिए वेतन निर्धारण (5) वार्षिक चुनाव पद्धति तथा (6) समान मतदाता (संख्या वाला) क्षेत्र । यद्यपि चार्टिस्ट आन्दोलन की मांगों को तत्कालीन संसद ने ठुकरा दिया किन्तु इस आन्दोलन ने ब्रिटेन के दोनों राजनीतिक दलों को सर्वहारा वर्ग की बढ़ती शक्ति और राजनीतिक प्रभाव का एहसास करा दिया और वे इसका समर्थन प्राप्त करने के लिए सक्रिय हो उठे।

1860 के दशक में उदारवादी दल (लिबरल पार्टी) के नेता पद पर ग्लैडस्टोन आसीन हुआ, जो कुछ अधिक उदारमना राजनीतिज्ञ था। वर्ष 1866 में उसने एक सुधार विधेयक प्रस्तुत किया जिसके कानून बनने पर काफी बड़ी संख्या में सर्वहारा वर्ग के सदस्यों को मतदान का अधिकार मिल जाता । यद्यपि यह विधेयक पराजित हो गया और लिबरल मंत्रीमण्डल को पदत्याग करना पड़ा किन्तु इस सुधार -विधेयक की अवश्यम्भाविता को डिज़राइली ने भांप लिया और इसे कानूनी रूप देने का श्रेय भी उसी को प्राप्त हुआ। परिणामतः वर्ष 1867 के सुधार-विधेयक ने मतदाताओं, की संख्या दुगुनी कर दी जिसमें अधिकांश शहरी सर्वहारा वर्ग के सदस्य थे। ब्रिटिश इतिहास में यह पुनः एक नये युग की शुरुआत थी। इसके पश्चात्, औद्योगिक बुर्जुआ वर्ग को औद्योगिक सर्वहारा वर्ग के साथ मिलकर सत्ता सम्भालनी पड़ी । उदारवाद की विचारधारा ने अब एक सर्वथा नवीन और अधिक मौलिक अर्थ हासिल कर लिया था।

फ्रांस में उदारवाद

योरोप के महाद्वीप पर उदारवाद का उद्भव, ब्रिटेन की तुलना में, फ्रांस में कहीं अधिक उग्र ढंग से हुआ । ग्रेट ब्रिटेन की अपेक्षा योरोप में औद्योगीकरण बाद में शुरू हुआ था। फ्रांस में लुई फिलिप के शासनकाल (1830-48) के दौरान औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। पेरिस के मध्यम वर्ग ने वर्ष 1830 की क्रांति द्वारा अत्याचारी चार्ल्स का तख्ता पलट कर "लुई फिलिप) को फ्रांस के राजसिंहासन पर बिठाया था। एक सुविख्यात उदारवादी, लुई फिलिप मध्यम वर्ग का मित्र और हितैषी था और फ्रांस की जनता के अधिसंख्य ने भी उसे बड़े हर्षपूर्वक शिरोधार्य किया। इस घटना ने मेटरनिख और सारी दुनिया को यह बता दिया कि फ्रांसिसी-क्रांति की आत्मा नष्ट नहीं हुई है वरन् पिछले पन्द्रह वर्षों से प्रसुप्त -निश्चेष्ट -तन्द्रा में पड़ी रही। चूंकि लुई फिलिप को बुर्जुआ वर्ग के समर्थन-सहयोग से सिंहासन प्राप्त हुआ था, अतः उसने इस वर्ग के

Scanned by TapScanner

5

हितों-विचारों का विशेष ध्यान रखा। स्वाभाविक ही था कि उसे "सिटिजेन किंग" (नागरिक राजा) कहा जाने लगा। अठ्ठारह वर्षों के उसके शासनकाल को "बुर्जुआ राजतंत्र" (बुर्जुआ मोनार्की) कहा जाना भी सर्वथा युक्तिसंगत है। उसकी शासकीय नीति के दो प्रमुख उद्देश्य थे – देश में व्यवस्था और खुशहाली तथा देश के बाहर शान्ति। करों के दर में कमी लाकर मतदाताओं की संख्या उसने लाख से बढ़ाकर दो लाख पचास हजार कर दी जो तीन करोड़ बीस लाख की आबादी वाले देश के लिए कोई मामूली बात न थी। फ्रांस की राजनीतिक शक्ति को उसने मध्यम वर्ग के हाथों सुपुर्द कर दिया। लुई फिलिप का प्रधानमंत्री, गिजो वर्ष 1870 के पूर्व का बुर्जुआ-किस्म का विशुद्ध उदारवादी था, जिसका विश्वास था कि सरकार अनिवार्यतः सम्पत्तिवान वर्ग के लिए एवं उसी के द्वारा निर्मित होती है, विशेषकर बुर्जुआ वर्ग के लिए। अतः मतदाताओं की संख्या और अधिक बढ़ाये जाने के विचार का वह तीव्र विरोध करता रहा, यहां तक कि स्वयं अपने जैसे बुद्धिजीवी वर्ग के सदस्यों को भी उसने मतदान का अधिकार देना स्वीकार नहीं किया। विक्षुब्ध सर्वहारा वर्ग ने मतदान के अधिकार एवं श्रमिक संघ बनाने के अधिकार के लिए संगठित होना शुरू किया-लेकिन उनकी कोई भी मांग स्वीकृत नहीं हुई। सर्वहारा वर्ग का निरन्तर बढ़ता असंतोष अन्त में वर्ष 1848 की फरवरी क्रांति में प्रकट हुआ जिसके परिणामतः लुई फिलिप को इंग्लैण्ड भागना पड़ा।

पेरिस का सर्वहारा वर्ग विजयी तो अवश्य हुआ, किन्तु उनकी वह विजय अस्थायी साबित हुआ। बुर्जुआ उदारवादियों के एक समूह ने शीघ्रतापूर्वक एक प्रान्तीय सरकार गठित कर ली जिसमें समाजवादी विचारों का समर्थक एक मात्र महत्वपूर्ण "रैडिकल" नेता लुई ब्लैंक था। प्रान्तीय सरकार ने शीघ्र ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराये जाने की घोषणा की, ताकि एक नये संविधान के निर्माण के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सके। अप्रिल 1848 में सम्पन्न हुए इस चुनाव में "कंजरवेटिव रिपब्लिकन्स" तथा "लिमिटेड मोनार्किस्ट्स" को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। अनुभवहीन संविधान सभा ने जल्दी -जल्दी संविधान के निर्माण का कार्य पूरा किया और इस तरह फ्रांस में द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुई। सभी कार्यकारी एवं प्रशासनिक शक्तियाँ एवं अधिकार राष्ट्रपति में केन्द्रित कर दी गयी, जिसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा होना था। वैधानिक शक्तियाँ एक सदन वाली विधायिका को सौंप दी गयी। वर्ष 1848 के दिसम्बर माह में राष्ट्रपति पद के लिए हुए प्रथम चुनाव में नेपोलियन बोनापार्ट के भतीजे लुई नेपोलियन बोनापार्ट की भारी बहुमत से विजय हुई और वह राष्ट्रपति पद पर आसीन हुआ। इस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने केवल तीन वर्षों के अन्दर उस कमजोर- त्रुटिपूर्ण संविधान को ध्वस्त कर स्वयं को फ्रांस के अधिनायक के रूप में स्थापित कर लिया। एक अधिनायक एवं बाद में सम्राट् के रूप में लुई नेपोलियन ने सम्पत्तिवान बुर्जुआ एवं किसानों के हित-स्वार्थों का पोषण किया।

फ्रांस में वर्ष 1848 की क्रांति वस्तुतः बुर्जुआ उदारवाद के खिलाफ औद्योगिक सर्वहारा वर्ग का प्रथम हिंसक संघर्ष था। किन्तु अभी तक यह सर्वहारा वर्ग इतना छोटा और अल्पसंख्यक था कि वे पेरिस के बाहर कोई प्रभाव उत्पन्न करने में असफल रहा। उनकी यह क्रांति भूस्वामी किसानों एवं सम्पत्तिवान बुर्जुआ वर्ग के मजबूत गठबंधन के खिलाफ टकरा कर स्वतः नष्ट हो गया।

Scanned by TapScanner

वर्ष 1870 -1914 के बीच ब्रिटेन की स्थिति

वर्ष 1830 से वर्ष 1870 के बीच की अवधि में, पश्चिमी विश्व के अधिकांश देशों में संवैधानिक, उदार एवं नियंत्रित सरकारों का उदय हुआ जिन पर बुर्जुआ वर्ग का वर्चस्व था। वर्ष 1870 से वर्ष 1914 के बीच की अवधि की चारित्रिक विशेषता यह रही की इस दौरान प्रजातंत्रात्मक प्रवृतियों का भरपूर विकास हुआ। वर्ष 1870 तक विश्व के सर्वाधिक प्रजातांत्रिक देशों में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस तथा स्वीट्जरलैण्ड प्रमुख थे। सामाजिक रूप से न सही, किन्तु राजनीतिक रूप से, प्रजातांत्रिक सरकार को ब्रिटेन ने जन्म दिया तथा उदारवादी -लोकतंत्र की दिशा में ब्रिटेन का सतत विकास होता रहा। इसके बावजूद ब्रिटेन में राजतंत्र, "लार्ड" और "लेडिज" बने रहे तथा चर्च और गिरजे भी कायम रहे। वस्तुतः कानून तथा परम्पराओं के प्रति ब्रिटेन के लोगों की आस्था-निष्ठा का यह परिचायक था। वर्ष 1867 के सुधार विधेयक द्वारा अधिकांश सर्वहारा वर्ग के सदस्यों को मताधिकार प्राप्त हुआ और वर्ष 1884 में ग्लैडस्टन के सुधार-विधेयक द्वारा अधिकांश ग्रामीण पुरुषों को मताधिकार प्रदान कर दिया गया। अतः वर्ष 1884 के पश्चात, ग्रेट-ब्रिटेन के सभी परिवारों एवं किरायेदार पुरुषों को मतदान की प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया था किन्तु स्त्रियों को मताधिकार की सम्मानजनक स्थिति वर्ष 1918 में प्राप्त हो सकी। संसदीय सुधार अधिनियम ने लोकप्रिय - प्रतिनिधियों वाले निम्न -सदन को सर्वोच्च स्थिति प्रदान कर दी। फिर भी, 19वीं शताब्दी के अन्त तक ब्रिटेन की दोनों राजनीतिक पार्टियों पर सम्पत्तिवान बुर्जुआ एवं भूस्वामी आभिजात्यों का प्रभाव एवं वर्चस्व बना रहा। यद्यपि ये दोनों राजनीतिक दल श्रमिक वर्ग के प्रति काफी उदार नीतियों का अवलम्बन करते थे किन्तु विशाल सर्वहारा वर्ग के असंतुष्ट सदस्य एवं औद्योगिक श्रमिक सरकार या सत्ता में अपनी उचित भागीदारी की मांग कर रहे थे। वर्ष 1881 से वर्ष 1906 की अवधि के दौरान यह वर्ग एक नरमपंथी-समाजवादी कार्यक्रम की ओर उन्मुख हुआ तथा जार्ज बर्नार्ड शा, एच. जी. वेल्स, सिडनी तथा बीएट्रिका वेब जैसे मौलिक बुद्धिजीवियों की सहायता से "लेबर पार्टी" का गठन किया गया।

वर्ष 1906 के पश्चात लेबर पार्टी, डेविड ल्वायड जार्ज के नेतृत्व में सत्ता में आई। वर्ष 1906 से 1911 के दौरान ल्वायड जार्ज ने संसद के माध्यम से अनेक क्रांतिकारी कानून बनाकर दुर्घटना, वृद्धावस्था, बीमारी तथा बेरोजगारी- बीमा के द्वारा श्रमिकों के हित स्वार्थों को सुरक्षित किया। सरकार की विशाल वित्तीय जिम्मेवारी का वहन करने के लिए जार्ज ल्वायड ने वर्ष 1909 का प्रसिद्ध बजट प्रस्तुत किया और उदासीन अनिच्छुक ऊपरी सदन द्वारा उसे पारित कराकर करों का भारी बोझ समाज के सर्वाधिक सशक्त वर्गों के कन्धों पर डाल दिया। ऊंचे आयकर, उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति पर कर, भूस्वामी आभिजात्यों के विहार-वन एवं बगीचों पर कर लगाकर उसने राजकोष को समृद्ध किया और धनी वर्ग को हतोत्साहित। वर्ष 1914 तक ग्रेट ब्रिटेन राजनीतिक प्रजातंत्र के साथ-साथ सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की दिशा में चल पड़ा था।

फ्रांस में प्रजातांत्रिक विकास

औद्योगिक क्रांति के दूसरे चरण के दौरान, सं.रा. अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन की तुलना में फ्रांस का उदारवादी प्रजातंत्र काफी कमजोर था। वर्ष

1870-71 के फ्रांस-जर्मनी युद्ध के दौरान नेपोलियन तृतीय के द्वितीय फ्रांसिसी साम्राज्य का पतन हुआ और फ्रांस के तीसरे गणराज्य की घोषणा हुई। इस गणराज्य के अन्तर्गत प्रथम आम चुनाव वर्ष 1871 में सम्पन्न हुआ जिसमें राजतंत्रवादियों को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। यह आश्चर्यजनक परिणाम वस्तुतः जर्मनी के साथ अलोकप्रिय युद्ध एवं इसके निराशाजनक नतीजों के कारण सम्भव हुआ था। पेरिस शहर, जिसमें उदारवादी बुर्जुआ तथा अतिवादी-उग्र सर्वहारा का बाहुल्य था, रूढ़िवादी ग्रामीण फ्रांस के वर्चस्व में बनी सरकार को स्वीकार करने को इच्छुक न था । अतः पेरिस ने शेष फ्रांस से सम्बंध तोड़कर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और अपने शहर की सरकार या "कम्यून" बना ली । दो महीनों के युद्ध एवं हिंसा (अप्रैल –मई 1871) के पश्चात पेरिस कम्यून का पतन हो गया। इन दो महीनों में हुई दस हजार लोगों की हत्या ने रूढ़िवादियों को भयभीत कर दिया। राजतंत्रवादियों में उत्पन्न हुई फूट और कमजोरी का फायदा उठाकर , अल्पमत में मौजूद उदारवादियों ने वर्ष 1875 में एक नये संविधान का निर्माण एवं गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना कर डाली। इस संविधान में, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा चुने प्रतिनिधियों के एक सदन , तथा एक सीनेट की व्यवस्था थी, जिसके सदस्य जटिल एवं अप्रत्यक्ष प्रक्रिया द्वारा चुने जाते थे। इन दोनों सदनों के प्रतिनिधियों द्वारा एक राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान किया गया किन्तु राष्ट्रपति की शक्तियाँ और अधिकार अत्यन्त सीमित थे। गणराज्य की अधिकांश कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार एक मंत्रीमण्डल को सौंपा गया जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से चुने जन-प्रतिनिधियों (डिप्यूटीज) द्वारा होता था। फिर भी, कम-से-कम चार वर्षों के बाद ही उदार -गणराज्यवादी अपने वाक्पटु नेता लियोन गैम्बता के नेतृत्व में गणराज्य की वास्तविक सत्ता प्राप्त कर सके।

लेकिन तृतीय फ्रांसिसी गणराज्य भी स्थायी और सुरक्षित न रह सका । 1880 के दशक में राजतंत्रवादियों के विभिन्न समूहों ने जनरल बौलेंजर के नेतृत्व में पारस्परिक समझौता-सहयोग कर, गणराज्य को उखाड़ फेंकने की कोशिश की लेकिन अन्ततः उनके नेता को आत्महत्या करनी पड़ी । 1890 के दशक में ये गणराज्य विरोधी शक्तियाँ , पुनः सैनिक -षड्यंत्रकारियों के एक समूह के प्रभाव में गठबन्धन करने लगीं । इसी षड्यंत्रकारी समूह ने यहूदी कैप्टन अल्फ्रेड ड्रेफस के खिलाफ अभियोग लगाकर उसे "डेविल्स आइलैण्ड" (शैतान के टापू) में आजीवन कारावास की सजा दी। इस बार गणराज्य के विरोधी एवं दुश्मनों में नवोदित विदेशी -राष्ट्रवाद एवं "सीमिटिक " विरोधी समूह भी शामिल हो गये थे। पाँच वर्षों के संघर्ष एवं तोड़-जोड़ के पश्चात ही गणराज्यवादियों को षड्यंत्रकारी एवं गणराज्य-विरोधी सैनिक अधिकारियों को दण्डित करने में सफलता मिली तथा वे अल्फ्रेड ड्रेफस को रिहा करवा सके । वस्तुतः ड्रेफस के मुद्दे ने गणराज्यवादियों का पक्ष मजबूत किया और गणराज्य के शत्रुओं को कमजोर ।

फिर भी, फ्रांस में प्रजातांत्रिक सरकार उतनी दक्षता और सरलता से कार्य न कर सकी, जितना वह ग्रेट ब्रिटेन में कर सकी थी। अत्यधिक व्यक्तिवाद की वोल्तायर वाली परम्परा तथा चर्च व्यवस्था के समर्थक एवं विरोधी समूहों के बीच संघर्ष तथा पेरिस के शहरी "रेडिकल्स" तथा ग्रामीण फ्रांस के रूढ़िवादी समूहों की प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, प्रान्तीय एवं क्षेत्रीय निष्ठा तथा शक्तिशाली सरकारों के प्रति ऐतिहासिक शंका एवं करों के बढ़ते बोझ आदि वे तमाम कारण थे जिनके

Scanned by TapScanner

फलस्वरूप फ्रांस में अनेक राजनीतिक दल उत्पन्न हो गये । इसका सीधा नतीजा यह हुआ कि अब मंत्रिमण्डल को सरकारी क्रिया-कलाप सम्पन्न करने के लिए कई राजनीतिक दलों के समर्थन सहयोग पर निर्भर होना पड़ा। अतः फ्रांस में प्रत्यक्ष जन-प्रतिनिधियों के सदन चेम्बर ऑफ डिप्यूटीज़ के लिए यह आसान हो गया कि वे जब चाहें, किसी मंत्रिमंडल को उखाड़ फेंक सके और वह भी, किसी मध्यावधि चुनाव के भय से बचे रहकर। परिणाम यही हुआ कि फ्रेंच मंत्रिमण्डल बड़ी जल्दी-जल्दी सत्ता- च्युत की जाने लगी। वर्ष 1871 से 1914 के बीच के चालीस वर्षों के दौरान कम-से-कम 50 मंत्रिमण्डलों ने फ्रांस पर शासन करने की कोशिश की ।

20वीं शताब्दी के प्रारम्भ से, फ्रांस में प्रजातंत्र की सुदृढ़ स्थापना होने के संकेत मिलने लगे तथा वह जनसाधारण की मांगों के प्रति अधिक संवेदनशील होता प्रतीत होने लगा। फैक्ट्री अधिनियमों के द्वारा श्रमिकों को अधिक सुरक्षा और संरक्षण दिया गया। वर्ष 1905 से वर्ष 1910 के दौरान सामाजिक विधान का एक सीमित कार्यक्रम चलाया गया, जो इस दिशा में एक सन्तुलित और शालीन कदम था। लेकिन फ्रांस की जनता अब अधिकाधिक राजनीतिक जागरण के फलस्वरूप सक्रिय हो उठी थी और शासन के प्रति अपने रोष एवं असंतोष को हड़तालों द्वारा व्यक्त करने लगी या समाजवादी दलों का "वोट" बढ़ाकर अपना मंतव्य जाहिर करने लगी।

पश्चिमी योरोप के छोटे देशों में उदारवादी प्रजातंत्र

<u>योरोप के देशः</u>- 19वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में जब कि फ्रांस एवं ग्रेट ब्रिटेन में उदारवादी प्रजातंत्र का शासन पूर्णतः स्थापित एवं स्वीकृत हो चुका था: तब पश्चिमी योरोप के देशों में भी इसकी उल्लेखनीय प्रगति हो रही थी। वर्ष 1868 में स्पेन के उदारवादियों ने रानी इसाबेला द्वितीय को सत्ताच्युत कर उसके पुत्र एल्फांसो बारहवें को सत्तासीन किया। इसके पश्चात लगभग पैंतीस (35) वर्षों तक स्पेन में उदार एवं संवैधानिक राजतंत्र का शासन रहा । वस्तुतः इस सरकार में सैनिक एवं राजनीतिक सरदारों का एक समूह विद्यमान था और यही समूह शासन और सरकार चलाता था । इस समूह की शक्ति का मुख्य स्रोत जनसाधारण की राजनीतिक उदासीनता एवं सैनिक समर्थन में मौजूद था। गणराज्य वादी अपना राजनीतिक प्रचार करते रहे तथा वर्ष 1890 में उन्हें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मांग मनवाने में सफलता मिल गयी।

पुर्तगाल की परिस्थिति काफी कुछ वैसी ही थी जैसी वर्ष 1875 के पश्चात् स्पेन की थी। सामान्य तौर पर मंत्री जितने कम दक्ष थे, उतने ही अधिक भ्रष्ट भी थे। इसके साथ ही, सम्राट चार्ल्स प्रथम आडम्बर और प्रदर्शन प्रिय, व्यभिचारी और स्वेच्छाचारी था। वर्ष 1907 में विभिन्न दलों -गुटों द्वारा किये जा रहे हड़ताल को शान्त करने के उद्देश्य से उसने प्रधान-मंत्री को तानाशाही शक्तियाँ प्रदान कर दी, लेकिन अगले ही वर्ष सम्राट् चार्ल्स अपने बड़े पुत्र सहित लिस्बन की सड़कों पर मार डाला गया । लड़खड़ाता हुआ राजतंत्र किसी प्रकार वर्ष 1910 तक आ पाया था कि एक विद्रोह ने इसे उखाड़ फेंका और पुर्तगाल में गणराज्य की स्थापना हो गयी।

19वीं शताब्दी के अन्तिम भाग तक, बेल्जियम तथा हालैण्ड, दोनों देशों में उदार, संवैधानिक राजतंत्रों की स्थापना हो गयी थी जो काफी कुछ ग्रेट

ब्रिटेन जैसी थी। बेल्जियम में "लिबरल पार्टी" वर्ष 1847 से वर्ष 1884 की अवधि के दौरान , अधिकांश समय तक सत्ता-रूढ़ रही, लेकिन इसकी गिरजा (धर्म) विरोधी नीतियों ने एक मजबूत कैथोलिक पार्टी के निर्माण को प्रेरित किया जो अगले तीस वर्षों तक सरकार को नियंत्रित करती रही। हालैण्ड में, यद्यपि मताधिकार का क्षेत्र धीरे-धीरे बढ़ाया जाता रहा, किन्तु सरकार को अभी "वीटो" के अन्तर्गत कानून बनाने की स्वेच्छाचारी शक्ति प्राप्त थी। स्वीट्जरलैण्ड की शासन - व्यवस्था सर्वाधिक लोकतांत्रिक थी, जिसने जनमत संग्रह (1874) को स्वीकार कर लिया था तथा अपनी समस्त जनता को मतदान का अधिकार देकर कानून निर्माण की प्रक्रिया में शामिल कर लिया था। इसके साथ-साथ एक खास संख्या में नागरिकों का विरोध होने पर किसी सरकारी कदम को निरस्त करने के अधिकार की शुरुआत भी कर दी। वर्ष 1914 तक, पाश्चात्य यूरोप के समस्त देशों में राजनीतिक प्रजातंत्र के आदर्शों की प्रतिबद्धता स्पष्टतः दिखाई देने लगी थी । लगभग इन सभी देशों में,

इस समय तक, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या इससे मिलती-जुलती राजनीतिक धारणा की स्थापना के प्रयास शुरू हो गये थे। इन सभी देशों के अपने संविधान बन गये थे, भले ही ब्रिटेन का अलिखित संविधान ही रहा हो। इनमें से अधिकांश देशों में , सरकारें विधायिका के प्रति जवाबदेह बनायी जा चुकी थी। यद्यपि पुर्तगाल तथा स्पेन में यह व्यवस्था कोई अर्थ नहीं रखती थी । किन्तु सभी सरकारों ने भाषण-लेखन, अखबार, धर्म एवं सभा करने जैसे व्यक्ति के अधिकारों को नागरिक -अधिकार के तहत मान्यता दे दी थी।